एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8276/2004
अशोक कुमार जैन व अन्य
बनाम
श्रीमती प्रेमलता भण्डारी व अन्य

22.2.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

डा. पी.सी.जैन, अधिवक्ता याचीगण।
श्री महेशचन्द गुप्ता, अधिवक्ता अयाची संख्या 1

न्यायालय द्वारा:

अयाची संख्या 2 प्रोफार्मा रेस्पोन्डेन्ट है, अत: उसकी तामील की आवश्यकता नहीं है। अयाची संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री महेशचन्द गुप्ता ने मेरा ध्यान इस न्यायालय द्वारा एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2296/2006 में पारित निर्णय दिनांक 15.5.2006 की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि इस याचिका में उठाये गये बिन्दु उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है।

इस रिट याचिका के माध्यम से अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.7.2004 को चुनौती दी गयी है। उक्त आदेश के द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 दीवानी प्रक्रिया संहिता को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए विवाघक संख्या 5 को हटाते हुए उसके स्थान पर दो नये विवाघक प्रतिस्थापित किये गये थे। समान प्रकृति के आदेश दिनांक 2.4.2005 को याची ने इस न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2296/2006 में जिस हद तक उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गयी, चुनौती दी थी। किन्तु याची की उक्त रिट याचिका निरस्त कर दी गयी। आदेश दिनांक 27.7.2004 जिसे कि इस रिट याचिका में चुनौती दी गयी है, का परिशीलन

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 15.5.2006 के परिप्रेक्ष्य में किये जाने से मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि इस याचिका में उठाये गये बिन्दु उक्त रिट याचिका में उठाये गये बिन्दुओं से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। आक्षेपित आदेश के अध्ययन के पश्चात भी मैं सन्तुष्ट हूं कि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अत: यह रिट याचिका भी उसी अनुरुप निरस्त की जाती है। पक्षकारान अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति